इकाई–1: भारत में शैक्षिक नीति का ढ़ाचाः एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

संरचना **डॉ.आर.एस.पाण्डेय**

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1.4 लॉर्ड मैकॉले का विवरण–पत्र (1835)
1.5 वुड का घोषणा–पत्र (1854)
1.6 शिक्षा की विकास यात्रा (1854–1882)
1.7 भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन–1882)
1.8 शिक्षा में निस्यन्दन सिद्धान्त
1.9 सारांश
1.10 अभ्यासकार्य
1.11 चर्चा के बिन्दु
1.12 बोध प्रश्नो के उत्तर
1.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें (संदर्भ)

1.1 प्रस्तावना

किसी भी देश का इतिहास अतीत की वास्तविकताओं का क्रमबद्ध वर्णन करता है और उस देश के सम्पूर्ण जीवन दर्शन का एक प्रतिम्बि होता है। इतिहास बीते समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पक्षों का सजीव वर्णन करता है। मनुष्य अतीत में घटित अनेक घटनाओं के परिणामों के ज्ञान का उपयोग अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने में करता है। अतः वर्तमान भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने तथा उसकी समस्याओं का हल खोजनें में भारतीय शिक्षा के इतिहास पर नजर डालना तर्क संगत होगा। अतीत में हुए शैक्षिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से विभिन्न कालों में बदलते स्वरुप का ज्ञान हो सकेगा। शिक्षा के बदलते स्वरुप तथा तत्कालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यकित, समिति तथा सरकार, अतीत की उत्तम तथा वर्तमान समय में उपयोगी बातों को अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अतीत की सफलताओं व असफलताओं तथा की गई त्रुटियों के आधार पर वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है।

भारतीय शिक्षा के इतिहास को मोटे तौर पर पाँच कालखण्डों में विभाजित किया जा सकता है। ये है– वैदिक काल, बुद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल तथा स्वतन्त्रोत्तर काल। भारत सन् 1947 में स्वतन्त्र हुआ तथा इसके पश्चात स्वतन्त्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किये गए। प्रस्तुत इकाई में भारत के शैक्षिक नीतियों के ढ़ाचे का एक संक्षप्ति ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप–

- भारत के ऐतिहासिक शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में समझ सकेगें।
- देश की शैक्षिक नीति की जानकारी हो सकेगी।
- अतीत की शैक्षिक नीतियों की अच्छाईयों व कमियों के बारे में समझ सके।
- वर्तमान की शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोज सकेगें।

1.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वेदकालीन शिक्षा हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। प्राचीन भारत की यह विशेषता रही है कि इसका निर्माण राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म के क्षेत्र में हुआ। भारतीय संस्कृति धर्म की भावनाओं से ओत–प्रोत है। हमारे पूर्वजों ने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा। 'वसुधैव–कुटुम्बकम्' ही उनका आदर्श था। प्राचीन हिन्दुओं की राजनीति दूसरे देशों की तरह हिंसा, द्वेष तथा स्वार्थ पर आधारित न होकर प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित थी। 'सर्व भूत हितेरत उनका कर्त्तव्य था। शिक्षा द्वारा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति करता था। ''सत्यं वद धर्म चर।''

मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य था। 'ब्रह्य सत्यं जगत् मिथ्या' के अनुसार वे जीवन तथा संसार की क्षण–भंगुरता का अनुभव करते थे तथा भौतिक सुख उनके लिए सारहीन था। 'ईश्वर अंश जीव अविनाशी' जान लेना अर्थात् जीवात्मा का परमात्मा में लय होना ही उनके लिए शाश्वत् सत्य था। इस प्रकार ही उनके लिए सांसारिक माया से मुक्ति प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना सम्भव था। इसी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के अर्थ तथा उद्देश्य निर्धारित हुए थे।

शिक्षा ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत है। शिक्षा, प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा मार्ग–प्रशास्त करता है। शिक्षा द्वारा हमारी शंकायों का उन्मूलन एवं कठिनाइयों का निवारण होता है तथा विश्व को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। **''ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम्।''** दो नेत्रों के देखने से जो अपूर्ण रह जाता है वह विद्या रूपी तृतीय नेत्र से देखा जाता है। एक वनस्पति–वैज्ञानिक, कवि तथा अनपढ़ तीनों ही फूलों को देखा करते हैं परन्तु तीनों के देखने में अन्तर है। बिना विद्या के मनुष्य और पशु में कोई

अन्तर नहीं। ‘‘विद्याविहीनः पशु समानः। ‘‘अर्थात विद्या से ही मानवता के गुणों का विकास सम्भव है।

मिशनरी प्रयास

अंग्रेजों के भारत में आने से पूर्व देश भारतीय में शिक्षा प्रचलित थी। मकतब, मदरसे, हिन्दू पाठशालाएँ, बंगल में टोल तथा दक्षिणी भारत में अग्रहार भारतीय जनता की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे। 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही पुर्तगाली वास्कोडिगामा कालीकट आकर उतरा था। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न ईसाई मिशनरी टोलियाँ भारत आई और धर्म प्रचार करने लगी। शिक्षा द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने स्कूलों की स्थापना की तथा छापेखाने खोले।

भारत में आने वाले धर्म-प्रचारकों में सन्त जैवियर प्रमुख था। वह गाँव तथा गलियों में पैदल घूमकर घण्टी बजाकर धर्म प्रचार करता था। दूसरा धर्म-प्रचारक राबर्ट डी0नोबीली था। वह अपने को पाश्चात्य देश का ब्राह्मण कहता था तथा संन्यासियों की तरह पीत वस्त्र पहनता था। शाकाहारी भोजन करता था। माथे पर तिलक लगाता था। ब्राह्मणों को सेवा में नौकर रखता था। उसका कहना था कि हिन्दुओं का एक वेद-लोप हो गया था। मैं वही लाया हूँ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज सन् 1575 में गोआ में खोला। इसमें 300 से अधिक विद्यार्थी थे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का पतन हो गया। उनके शैक्षिक प्रयास धर्म प्रचार हेतु थे। इनकी उग्र धार्मिक नीति ने भारतवासियों के मन में असन्तोष उत्पन्न कर दिया। सन् 1662 में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने इनकी राजनीतिक स्थिति को छिन्न-भिन्न कर दिया। केवल गोआ, दमन, दीव तक इनका प्रभाव सीमित हो गया।

17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में डच (हालैण्डवासियां) ने भी अपनी कम्पनी स्थापित की । इन पर धर्म प्रचार का भूत नहीं सवार था। उन्होंने केवल व्यापारिक हितो को अपनाया। इन्होंने कुछ स्कूल अवश्य खोले जिनमें भारतीय बच्चे भी पढ़ सकते थे। यह प्रोटेस्टेण्ट मत के थे। धीरे-धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो गई और इनका अधिकार कुछ बस्तियों तक रह गया।

सन् 1664 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कम्पनी स्थापित की। इन्होंने पाण्डिचैरी, चन्द्रनगर, कालीकट में प्राथमिक विद्यालय खोले। पुर्तगालियों की भाँति यह भी रोमन कैशोलिक थे। धीरे-धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो गई और इनका अधिकार कुछ बस्तियों तक रह गया।

सन् 1706 डेन्मार्क के निवासियों ने दक्षिण में तंजौर में अपने कारखाने खोले। इनका उद्देश्य धर्म प्रचार था, न कि राज्य स्थापना। इनके धर्म प्रचारक भी डेन्मार्क से आते थे। इन्होंने सन् 1713 में एक प्रेस खोला जिसमें बाइबिल का अनुवाद तमिल में छपा। इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लगभग 50,000 लोगों को ईसाई बनाया। इन्होंने बहुत से प्राथमिक स्कूल भी खोले। इन्होंने सन् 1716 में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी स्कूल खोला। सन् 1816 के बाद डेन्मार्क से धर्म प्रचारकों का आना बन्द हो गया और सन् 1845 में उन्होंने अपनी कोठियाँ अंग्रेजों को बेच दीं।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शैक्षिक प्रयास– यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना व्यापार के लिए हुई थी। फिर भी पुर्तगालियों का प्रभाव कम करने के लिए अंग्रेजो ने भी धार्मिक

नीति अपनाई। कम्पनी ने भारत में पादरियों को भेजा एवं कुछ भारतीय ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड भेजा। कम्पनी के शिक्षा के शिक्षा प्रयत्न इस काल में बहुत अपर्याप्त रहे।

इस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने जन–साधारण में ज्ञान का प्रसार किया। मुस्लिम शिक्षा पद्धति सामान्य जनता के ज्ञान मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकी थी। इस दिशा में इन्होंने निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाकर भारी संख्या में व्यक्तियों को ज्ञान का रसास्वादन कराकर पथ–प्रदर्शक का कार्य किया और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया।

वारेन हेस्टिंग्स ने सन् 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जिसमें अरबी भाषा के माध्यम से कुरान, कानून, गणित, तर्क तथा व्याकरण आदि पढ़ाये जाते थे। भारतीय न्यायालयों में मुस्लिम कानून की व्याख्या करने के लिए मौलवियों की आवश्यकता थी जो अंगेज न्यायाधीशों को परामर्श भी दे सकें। कलकत्ता मदरसा की भाँति हिन्दुओं को हिन्दू कानून की शिक्षा देने के लिए सन् 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना की।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी सन् 1813 में शैक्षिक आज्ञापत्र जारी किया था। यह आज्ञापत्र प्रत्येक दस वर्ष बाद ब्रिटिश संसद के समक्ष नवीनीकरण के लिए जाता था। सन् 1813 में जब यह आज्ञापत्र ब्रिटिश संसद के समक्ष गया तो इसमें धारा 43 और जोड़ दी गई जिसमें उल्लेख था कि ''प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रूपये की धनराशि साहित्य के पुनरूत्थान और उन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारम्भ और प्रसार के लिए व्यय की जायेगी।'' यह धारा विल्वर फोर्स और चार्ल्स ग्राण्ट, जो उस समय ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, के प्रयासों से जोड़ी गई। सरकार द्वारा शिक्षा के कर्त्तव्य को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने का यह प्रथम प्रयास था।

सन् 1813 के आज्ञापत्र में एक लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने की विधि निश्चित नही थी। अतः एक विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद के विषय निम्नलिखित थे–

- **उद्देश्य –** जनसाधारण में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया जाये या थोड़े से लोगों में उच्च शिक्षा को महत्व दिया जाये।
- **माध्यम –** शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषाएँ, संस्कृत, अरबी, फारसी रखी जायें या देशी भाषाएँ अंग्रेजी।
- **विषय–** अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाये या प्राचीन ज्ञान–विज्ञान तथा भारतीय साहित्य को विषय बनाया जाये। अंग्रेजी के समर्थक कम्पनी के प्रबल समर्थक थे।

इस प्रकार प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद बीस वर्ष तक चलते रहे। यह निश्चित करना असम्भव हो गया कि सन् 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार जो धनराशि शिक्षा के लिए निश्चित हुई है उसे किस ढंग से व्यय किया जाये।

10 जून , 1934 को लार्ड मैकाले (Maculay) ने गवर्नर जनरल की काउन्सिल के सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। मैकाले कानून और अंग्रेजी साहित्य का प्रकाण्ड विद्वान था। प्राच्य–पाश्चात्य विवाद को हल करने के लिए विलियम बैंटिक ने मैकाले को लोक–शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले से कहा गया कि वह सन् 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा

सम्बन्धी धारा की व्याख्या करे तथा एक लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने पर कानूनी मत प्रकट करे।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास : शिक्षा की वर्तमान प्रणाली का जन्म सन् 1813 में हुआ जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सँभालना प्रारम्भ किया और शिक्षा के लिए एक लाख रूपये वार्षिक अनुदान स्वीकृत किये परन्तु इस प्रणाली का रूप विदेशी रहा। अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान पढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। न ही सर्वसाधारण को शिक्षित करने का प्रयास किया गया। औद्योगीकरण के लिए टेक्निकल शिक्षा का विकास भी नहीं किया गया।

वास्तव में ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य युरोपीय ज्ञान-विज्ञान पढ़ाना भी नहीं था, बल्कि मध्यम वर्ग के कर्मचारी तैयार करना था। इस प्रकार ब्रिटिश शिक्षा से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई जैसे-पोस्टमैन, पटवारी, क्लर्कों तथा अधपढ़े अंगेजी बोलने-लिखने वाले जिससे अंग्रेजी शासन को चलने में सहायता मिली। ऐसी शिक्षा ब्रिटिश शासन के हित में भी थी, भारतीय राष्ट्रहित में कदापि नहीं।

ब्रिटिश शासकों तथा राष्ट्रीय नेताओं में इस विवाद पर टक्कर स्वदेशी आन्दोलन से प्रारम्भ हुई और कलकता काँग्रेस के प्रस्ताव (1906) द्वारा ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की गई जिसका आधार राष्ट्रीय हो तथा जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करे और जो राष्ट्रीय नियन्त्रण में हो। राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना के विकास की प्रक्रिया का विवरण गोपाल कृष्ण गोखले, पण्डित मदनमोहन मालवीय, ऐनीबेसेंट, लाला लाजपतराय और महात्मा गाँधी के लेखों में मिलता है, परन्तु सन् 1947 तक राष्ट्रीय शिक्षा को मूर्त रूप देने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया।

सन् 1947 में स्वतन्त्रता मिलने पर शिक्षा को राष्ट्रीय रूप देने के लिए क्रान्तिकारी परिवर्तनों की घोषणा की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) नियुक्त किये गये। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कई समितियाँ नियुक्त की। इस प्रकार विविध लेखों, अभिलेखों की भरमार में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का रूप धूमिल हो गया। वास्तव में तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का विस्तार ही सम्भव हो सका।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा : राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य समस्त देश में एक रूप विद्यालयों तथा कॉलेज शिक्षा से नहीं है अर्थात् जिसका एक ही पाठ्यक्रम तथा एक ही पाठ्यपुस्तक हों। इस प्रकार की एकरूपता न तो आवश्यक है और न ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप है जो 'विविधता में एकता' पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्यों, विश्वासों और मूल्यों की एकता निहित हो, साथ-साथ देश की विभिन्न इकाइयों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल हो। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो राष्ट्रीय आदर्शों को सबल करे। इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो -

- भारतीय आदर्शो जैसे–भक्ति, बुद्धिमत्तता और नैतिकता को अपनाये।
- राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करे जिससे विद्यार्थियों के हृदय में देश–प्रेम हो।
- वैज्ञानिक अन्वेषण तथा वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दे जिससे आर्थिक विकास सम्भव हो सके, निर्धनता से छुटकारा मिले और रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठ सके।
- भारतीय भाषाओं को विशेष स्थान दे तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दे।

  यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की एकरूपता एक सजीव प्राणी के समान है जिसकी आत्मा अपने शरीर के विभिन्न अंगों से समायोजित होकर विभिन्न क्रियायें कर शरीर का पोषण करती है।

बोध प्रश्न

(1) पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज कब और कहा खोला ?

____

(2) कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की ?

____

(3) फ्रांसीसियों ने व्यापरिक कम्पनी कब स्थापित की ?

____

KEXAMS

1.4 लॉर्ड मैकॉले का विवरण–पत्र (1835)

लॉर्ड मैकॉले (Lord Macaulay)- लॉर्ड मैकॉले एक सुयोग्य शिक्षाशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक था। वह अंग्रेजी साहित्य का प्रकाण्ड विद्वान था। वह ओजस्वी लेखक एवं वक्ता भी था। उसने 10 जून, 1834 को गर्वनर जनरल की काउन्सिल के कानूनी सदस्य (Legal Advisor) के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया था। वह ऐसे समय में भारत में इस दायित्व, को ग्रहण करने आया था,जबकि सम्पूर्ण अंग्रेज जाति अपने पराभव पर थी। वे अपने साहित्य, संस्कृति का आधिपत्य विश्व के अधिकांश भागों में जमा चुके थे। मॅकॉले इन सभी महत्त्वाकांशी गुणों से परिपूर्ण था।

उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बैन्टिक ने उसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उसे लोक शिक्षा समिति (Committee of Public Education Institution) का सभापति (Chairman) नियुक्त कर दिया और इसी समय उसे 1813 के आज्ञा–पत्र के प्राच्य–पाश्चात्य विवाद तथा स्वीकृत एक लाख रूपये की धनराशि को व्यय करने हेतु 'कानूनी सलाह' देने का महत्त्वपूर्ण कार्य दिया। इसी समस्या के कानूनी सलाह के लिए 2 फरवरी, 1835 को मैकॉले ने अपना विस्तृत

विवरण–पत्र (Minute) प्रस्तुत किया। जिसने भारत में अधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की अजस्त्र धारा प्रवाहित की तथा भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश शिक्षा को स्थापित किया। ऐसे नाजुक निर्णय के क्षणों को इस महत्त्वपूर्ण देन के लिए उसको ब्रिटिश काल की भारतीय शिक्षा में सदैव याद किया जाता रहेगा।

मैकॉले का विवरण–पत्र (Mecaulay's Minute) : मैकॉले का विवरण–पत्र 1813 के आज्ञा–पत्र के सन्दर्भ में 43वीं धारा की विवेचना एवं व्याख्या निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता है–

(1) ईस्ट इण्डिया कम्पनी शिक्षा के लिए केवल एक लाख रूपया सालाना व्यय करने के लिए तो बाध्य है, किन्तु इस धनराशि को वह किस आधार पर व्यय करेगी यह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है।

(2) 1813 के आज्ञा–पत्र (Charter) में जो कथन साहित्य के पुनर्जीवन तथा परिमार्जन (Improvement and revival of literature) के लिए प्रयुक्त किया गया है, उस 'साहित्य' का तात्पर्य केवल अरबी अथवा संस्कृत से नहीं है, उसमें 'अंग्रेजी' साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(3) तीसरा महत्त्वपूर्ण पद जो इस आज्ञा–पत्र में दिया गया है वह है–

(4) भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन (The encouragement of learned Natives of India)यहाँ 'भारतीय विद्वान' शब्द का अर्थ ऐसे विद्वान व्यक्ति से है, जिसे लॉक एवं मिल्टन की कविताओं का उच्च ज्ञान हो, न्यूटन की भौतिकी में निपुण हो न कि उस व्यक्ति से जिसे हिन्दू शास्त्र कण्ठस्थ हो तथा समस्त दैवीय रहस्यों का अनुपालन करने वाला हो।

आगे मैकॉले ने कहा है फिर भी यदि हम प्राच्यवादियों से सहमत हो जायें तो भावी परिवर्तनों के विरूद्ध निर्णायक कदम होगा।

(5) प्राच्यवादियों (Orientalists) ने अंगेज विद्वानों का जोरदार खण्डन करते हुए उसने पाश्चात्यीकरण (Westernization) की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित अकाट्य, अतिरंजित, अंग्रेजी अहम् एवं संस्कृति से परिपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये थे–

''भारतीयों में प्रचलित क्षेत्रीय भाषाएँ साहित्यिक एवं वैज्ञानिक दुर्बलता का शिकार हैं। वे पूर्ण अपरिपक्व तथा असभ्य हैं। उन्हें किसी भी बाह्य शब्द भण्डार द्वारा इस स्थिति में सम्वर्द्धित नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उस भाषा द्वारा किसी अन्य भाषा के साहित्य एवं विज्ञान के अनुवाद की कल्पना कर पाना असम्भव है।''

इसी विवरण–पत्र में अन्य स्थान पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य का घोर अपमान करते हुए लिखा है–

यद्यपि में संस्कृत एवं अरबी भाषा के ज्ञान से अनविभज्ञ हूँ। .... किन्तु क्षेष्ठ युरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी, भारतीय एवं अरबी भाषा के सम्पूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस तथ्य को प्राच्यवादी भी सहर्ष स्वीकार करेंगे।''

"I have no Knowledge of either Sanskrit of Arabia .... I haves never found one who could deny that a single shelf of a good European library was worth the shole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of western literature is, in deed, fully admitted by those member of the Committee who support the oriental plan of education."

अंग्रेजी भाषा की महत्ता को व्यक्त करते हुए आगे मैकॉले ने लिखा है–

''यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है, वह सुगमता से उस विशाल भण्डार को प्राप्त कर लेता है, जिसकी रचना विश्व के क्षेष्ठतम व्यक्तियों ने की है।''

संक्षेप में मैकॉले के पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में अंग्रेजी के महत्त्व को अग्रलिखित बिन्दुओं से समझाया जा सकता है, जो कि उसके विवरण–पत्र (Minute) में सर्वत्र बिखरे पड़े हैं–

- अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है तथा सर्वक्षेष्ठ साहित्य से सम्वर्द्धित है।
- अंग्रेजी पढ़ने हेतु भारत के अधिकांश लोग आतुर हैं।
- 'अंग्रेजी' एवं अंग्रेजी संस्कृति ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया है।
- अंग्रेजी भाषा भारत में नवीन संस्कृति का पुनरूत्थान कर सकेगी।
- प्राच्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों को छात्रवृत्ति आदि देकर प्रोत्साहित किया जाता है, किन्तु अंग्रेजी पढ़ने के लिए छात्र स्वयं खर्च वहन करने को तैयार हैं।
- केवल मुस्लिम एवं हिन्दुओं को न्याय दिलवाने हेतु उनके अरबी, हिन्दू शास्त्रों को अंग्रेजी में अनुवाद कराने से ही काम चल सकता है न कि उनकी फौज तैयार करके।

''अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा अभिप्राय इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रक्त एवं रंग में तो भारतीय हों, पर वह रूचियों, विचारों, नैतिकता एवं विद्वता में अंग्रेज जैसा हो।''

" We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the million whom we govern, a class of persons, Indians in blood and colour, but English in taste, opinions, in morals, and in intellect. To that class we may

leave it to refine the vernacular dialects to the country, to enrich those dialects with terms is of science borrowed from the Western nomenclature."

लार्ड विलियम बैण्टिक द्वारा मैकॉले के विवरण–पत्र को स्वीकृति : लार्ड विलियम बैण्टिक ने मार्च, 1835 को मैकॉले विवरण पत्रिका को शब्दशः स्वीकृति प्रदान करके पाश्चात्यवादी स्वरूप एवं शिक्षा प्रयासों पर मोहर लगा दी। इस प्रकार यह ब्रिटिन सरकार की प्रथम शिक्षा नीति के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया।

लॉर्ड विलियम द्वारा प्रस्तावित भारतीय शिक्षा के स्वरूप ने पत्रिका को शब्दशः स्वीकृति प्रदान करके पाश्चात्यवादी स्वरूप ने निम्नलिखित आकार ग्रहण किया– (1) ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है। अतः शिक्षा की निर्धारित धनराशि केवल इसी उद्देश्य के लिए व्यय की जानी चाहिए। (2) परन्तु प्राच्य विद्यालयों को न तो समाप्त किया जायेगा और न ही उनको बहिष्कृत किया जायेगा। उनमें उपलब्ध सुविधाओं हेतु आवश्यक धन की व्यवस्थाएँ जारी रहेंगी। (3) आगे से प्राच्य विद्या सम्बन्धी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन समाप्त कर दिया जायेगा, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। (4) उपर्युक्त स्थितियों के बाद भी जो शेष धनराशि बचेगी उसका प्रयोग भारतीयो में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रजी साहित्य तथा विज्ञान के प्रसार करने में व्यय किया जायेगा।

इस प्रकार विलियम बैन्टिक की इस शिक्षा नीति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गयी।

समकालीन शिक्षा प्रगति की समीक्षा (1813-1853): भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक हितों को सर्वप्रथम आघात सन् 1813 ई. में ही पहुँचा, जबकि उन्हें एक लाख रूपये सालाना की रकम को भारतीयों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु व्यय करने को बाध्य किया गया। तबसे ब्रिटिश कम्पनी के मालिकों ने अन्यमनस्कता से ही सही भारतीय शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्वीकार किया और वक्त अनेक करवटें बदलने लगा। इस सन्दर्भ में मैकॉले जैसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश नागरिक एवं गवर्नर जनरल बैण्टिक ने तत्कालीन सलाहकार के रूप में भारतीयों का चरम अपमान भी किया, परन्तु शिक्षा को एक सुनिश्चित मार्ग पर चलाने का सुव्यस्थित प्रयास भी किया। धीरे–धीरे प्राच्य–पाश्चात्यवाद का भी अन्त हो गया और सभी ने समवेत स्वरों में अंग्रेजीकरण की पद्धति को लुभावने रूप में अंगीकार कर लिया। प्राच्य विद्याएँ स्वयं की जर्जरित थीं, अब मृतप्रायः हो चुकी थीं। विद्या का कार्य भी स्वेच्छा तथा वर्ग विशेष का पैतृक कर्म न रहकर अंग्रेजी की चमाचौंध ने नौकरी के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। अतः मन्दिर, धार्मिक स्थल, चौपालों आदि के घरेलू स्कूलों की संस्कृ ति विलुप्त हो गयी। अंग्रेज कम्पनी के लिए यह सुनहरी मौका था। उसने प्रभावी जमीदारों, क्षेत्रीय सम्पत्र लोगों के बालकों को अंग्रेजी पढ़ाना प्रारम्भ किया तथा 'निस्यन्दन सिद्धान्त' को लागू कर दिया। वे जन–मानस के साथ शिक्षा के कार्य में अपनी शक्ति एवं धन का

हनन करने के कदापि इच्छुक नहीं थे। इसीलिए ऐडम, प्रिन्सेप, वार्डन आदि महानुभावों के उदारवादी दृष्टिकोणों को ठुकरा दिया गया।

अन्त में सन् 1833 में भारत में मिशननियों के प्रवेश को खुली छूट मिल गयी और अनेक देशों के मिश्नरियों ने अपने धर्म के साथ–साथ शिक्षा के प्रचार–प्रसार में भी व्यापक योगदान दिया। अब मिशन स्कूलों, कालेजों की सभी बड़े नगरों में स्थापना हो चुकी थी तथा वे आधुनिक शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता के गढ़ बन चुके थे। सन् 1853 तक अंग्रेजी शिक्षा की पताका अपने पूर्ण वर्चस्व के साथ भारत में लहरा रही थी। डॉ.एस.एन. मुखोपाध्याय इस शिक्षा की संक्षिप्त प्रगति प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं–

''शिक्षा का 'छनायी सिद्धान्त' अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका था। जन शिक्षा के कार्य को असम्भव बनाया गया तथा स्वदेशी शिक्षा पद्धति का सर्वनाश कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा का सम्मान बढ़ता गया। प्राच्य विद्या व्यर्थ की वस्तु बन गयी। शिक्षा ने अंग्रेजी वस्त्र धारण किये तथा क्षेत्रीय एवं लोक भाषाएँ तथा संस्कृति को दुत्कारा गया।''

1.5 वुड का घोषणा–पत्र (1854)

1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की 'किशोरावस्था' की संज्ञा प्रदान की जा सकते है, क्योंकि इस वर्ष में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञा–पत्र के नवीनीकरण (Renewal) के समय ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने भारत में कम्पनी द्वारा किये गये शिक्षा प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया। यद्यपि इसमें भी उनके साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति ही अधिक थी, किन्तु इसने शिक्षा के चहूँमुखी आयाम में सुधार हेतु पर्याप्त प्रयासों पर बल भी दिया गया।

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के इन सुझावों की पूर्ति हेतु कम्पनी ने अपने एक सुयोग्य अधिकारी चार्ल्स वुड (Charles Wood) को भारतीयों की शिक्षा हेतु एक नीति–निर्देश तैयार करने को कहा। चार्ल्स वुड के प्रयासों का ही यह परिणाम था कि 1854 में 'वुड का घोषणा–पत्र' (Wood Despatch) बनकर तैयार हो गया।

चार्ल्स वुड ने सन् 1853 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पुनर्नवीनीकरण आज्ञा–पत्र के तहत भारतीय शिक्षा की रूपरेखा की पुनर्समीक्षा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। यह सर्वप्रथम प्रयास था जबकि कम्पनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा के सभी पक्षों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की थी। इस घोषणा–पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनैतिक मान्यता प्रदान कर दी गयी। इस अभिप्राय से वुड के घोषणा–पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा (Magna Carta) भी कहा जाता है।

वुड घोषणा–पत्र के उद्देश्यः वुड ने अपने घोषणा–पत्र में कम्पनी के शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है–

''अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में से, अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता, जितना कि 'शिक्षा'। यह हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने इंग्लैण्ड के सम्पर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से सम्पन्न हो सकें।''

वुड के घोषणा–पत्र के प्रमुख उद्देश्य जो उसने अपनी प्रस्तावना में लिखे हैं– वे इस प्रकार हैं–

- भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान के वरदान एवं रोशनी से उन्नत बनाना।
- भारतीयों में शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमताएँ ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी उच्च बनाना, ताकि वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें।
- भारतीयों में कम्पनी के कार्यलायों, कारखानों में कार्य करने की निपुणताएँ विकसित करना, ताकि वे रोजगार, श्रम तथा पूँजी आदि शब्दों से परिचित हो सकें। ताकि श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके।
- भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान से सुसज्जित करना।
- भारत में परिमार्जित कलाओं विज्ञान, दर्शन तथा यूरेपियन साहित्य का संचार करना।

वुड के घोषणा–पत्र में लिखित संस्तुतियाँ : वुड ने तात्कालिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद भावी शिक्षा नीति सम्बन्धी व्यापक विचार प्रस्तुत किये थे। इन विचारों को यहाँ पर बिन्दुबद्ध किया जा रहा है–

1. **शिक्षा का माध्यमः** अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाएँ (Medium of Instruction:English and Vernacular languages)- घोषणा–पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकारा गया है। घोषणा–पत्र में व्यक्त किया गया है कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में साथ–साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है।
2. **सहायता अनुदान प्रणालीः** सरकारी संस्थाओं का, स्थानीय निकायों का क्रमिक रूप से स्थानान्तरण (Grant-in-Aid System: Transfer of Government Institution to the Management of Local Bodies) – सहायता अनुदान प्रणाली की रूपरेखा के सम्बन्ध में वुड के घोषणा–पत्र में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये गये हैं–

''हम भारत में उसी सहायता अनुदान प्रणाली को लागू रखना चाहते हैं, जो कि इस देश में सफलतापूर्वक सम्पादित की गयी है। इस प्रकार इसमें हम स्थानीय संसाधनों की सहायता की भी कामना कर सकते हैं। इससे शिक्षा के प्रसार में तीव्र गति लायी जा सकती है जो कि मात्र सरकारी धन के व्यय से सम्भव प्रतीत नहीं होती है।''

वुड ने अपने घोषण–पत्र में सरकारी सहायता प्रदान करने हेतु कुछ नीति–निर्देशक नियमों की भी संस्तुति की थी, ये निम्नलिखित हैं–

(1) सरकारी अनुदान प्रदान करने का आधार प्रदान करने हेतु कुछ नीति–निरपेक्ष–लौकिक शिक्षा की सुव्यवस्था का होना।

(2) उक्त विद्यालय का स्थानीय सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धन।

(3) उक्त विद्यालयों में छात्रों से अल्प शुल्क की व्यवस्था होना।

(4) प्रदत्त सरकारी अनुदान सम्बन्धी नीतियों का अनुपालन तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपलब्धियों का स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करने की सुविधा।

इस प्रकाण घोषणा–पत्र में यह व्यवस्था की गयी कि प्रान्तीय सरकारें इंग्लैण्ड की सहायता अनुदान प्रणाली को आदर्श रूप (Ideal form) में स्वीकार करें, उनकी नीतियों का कठौर अनुसरण करें। इसके साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकूद, व्यायाम सामग्री, छात्रवृत्तियों, शिक्षकों के वेतन, भवन निर्माण आदि के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करें।

इस अनुदान प्रणाली के फलस्वरूप हम व्यक्तिगत प्रबन्घन (Private Management) को बल प्रदान करना चाहते हैं। फिर धीरे–धीरे सरकारी संस्थाओं को भी इन्हीं स्थानीय प्रबन्ध कमेटियों को हस्तान्तरित कर दिय जायेगा या आदर्श संस्थाओं के रूप में उन्हें जीवित रखा जायेगा।

3. **सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था –** समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्म निरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। अन्य पुस्तकों के साथ धर्मग्रन्थ बाइविल को भी पुस्तकालय में रखवा दिया जाय तथा छात्र जो भी चाहें स्वतन्त्रतापूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। स्कूल के अवकाश के उपरान्त कोई भी छात्र उस धर्मग्रन्थ के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासाएँ अपने शिक्षकों से पूछ कर शान्त कर सकते हैं।

4. **शिक्षक–प्रशिक्षण–** वुड.के.घोषणा–पत्र में यह संस्तुति की गयी थी कि इंग्लैण्ड के शिक्षक–प्रशिक्षण कॉलेजों के ही अनुरूप भारत के प्रत्येक प्रान्त में शिक्षक–प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाय। इस कार्य में अच्छे व्यक्तियों को आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्ति, उत्तम वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे, जिससे कि शिक्षा के व्यवसाय को अन्य सरकारी व्यवसायों के समान सम्मान प्राप्त हो सके।

5. **स्त्रियों की शिक्षा–** वुड ने उन भारतीयों की भूरि–भूरि प्रशंसा की है जो कि स्त्री–शिक्षा के प्रति सतर्क थे तथा अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उन दानदाताओं की भी सराहना की है, जिन्होंने स्त्री–शिक्षा के विकास हेतु उदार दान दियें थे। साथ ही स्त्री विद्यालयों को विशेष सरकारी शिक्षा के विषय की स्वीकृति के लिए बधाई दी थी।

6. **विश्वविद्यालयों की स्थापना -** भारतीयों द्वारा जो तीव्र उत्कण्ठा अंग्रजी शिक्षा के प्रति जाग्रत हुई है, उसे देखते हुए, भारत के बड़े नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण ‘लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श रूप में रखकर ही किया जाय।

इस विश्वविद्यालय के अनुरूप कुलपति, उप–कुलपति एवं कार्यकारिणी के सदस्य गण (Members of Executive Council) होंगे। ये सभी सम्मिलित रूप से सीनेट (Senate) का निर्माण करेंगे जो कि विश्वविद्यालय के लिए नियम बनायेगी तथा प्रबन्ध करेगी।

7. **जन शिक्षा का प्रसार–** वुड के घोषणा–पत्र ने स्वीकार किया है कि शिक्षा में निस्यन्दन सिद्धान्त ने जन शिक्षा के प्रसार को बहुत आघात पहुँचाया है। अतः वुड ने संस्तुति की कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन लगाकर प्रत्येक जिले में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। देशी विद्यालयों में सुधान करें, निर्धन छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें, ताकि ये उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। वुड ने लिखा है–

''अब हमारा ध्यान इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर केन्द्रित होना चाहिए जिसकी अभी तक अवहेलना की गयी है अर्थात् जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक एवं व्यावहारिक शिक्षा, उस विशाल जनसमूह को शिक्षा किस प्रकार दी जाय? जो किसी सहायता के बिना स्वयं लाभदायक शिक्षा प्राप्त करने में पूर्णतः असमर्थ है।''

इस शिक्षा के नियोजित प्रसार हेतु वुड ने नियोजित शिक्षा विभाग की रूपरेखा तैयार की। उसके अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाय, जिसका सर्वोच्च अधिकारी 'जन शिक्षा डायरेक्टर' (Director of Public Instruction) हो। उसे संहायता प्रदान करने के लिए उप–शिक्षा डायेरक्टर, निरीक्षक (Inspector) तथा सहायक निरीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए।

इन प्रमुख संस्तुतियों के अतिरिक्त वुड महोदय ने क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति (Graded School System), व्यावसायिक शिक्षा (Voction Education) तथा रोजगार आदि के सन्दर्भ में भी व्यापक विचार प्रस्तुत किये हैं।

वुड के घोषणा–पत्र का मूल्यांकन

वुड का घोषणा–पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास यात्रा का अनूठा पड़ाव है। यहाँ से वास्तविक शिक्षा के स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। यद्यपि वुड की संस्तुतियों ने शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आधारशिला रखी थी, किन्तु उसमें कुछ कमियाँ भी निहित थीं। यहाँ इस घोषणा–पत्र के इन्हीं गुण–दोषों का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वुड घोषणा–पत्र के गुण

वुड का घोषण–पत्र के गुणों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार कर सकते हैं–

(1) घोषणा–पत्र ने भारतीय शिक्षा की प्रारम्भिक आधारशिला को पर्याप्त मजबूती प्रदान की थी। इसलिए इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार–पत्र (Megna carta of English Education in India) के नाम से पुकारा जाता है।

(2) घोषणा–पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की।

(3) घोषणा–पत्र ने ईस्ट इण्डिया

(4) घोषणा–पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित स्वरूप प्रकट होकर सामने आया।

(5) घोषणा–पत्र ने पूर्व कार्यक्रमों, सिद्धान्तों जैसे निस्यन्दन सिद्धान्त, व्यापक शिक्षा की अवमानना आदि को अनैतिक सिद्ध कर दिया।

(6) घोषणा–पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों (Graded Schools) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education), स्त्री शिक्षा (Women's Education) तथा जन प्रसार शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा की संगठनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की तथा इंग्लैण्ड के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया।

(7) प्राच्य विद्या, साहित्य के मुद्रण, प्रकाशन एवं पठन–पाठन हेतु छात्रवृत्तियों तथा अन्य प्रोत्साहन धनराशियों की व्यवस्था की गयी।

(8) घोषणा–पत्र में योग्य, प्रशिक्षित तथा उत्तम तथा सुविधाओं से सुसज्जित शिक्षकों हेतु नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर जोर दिया गया।

(9) घोषणा–पत्र में सरकारी नीतियों के पालन करने वाले सभी विद्यालयों हेतु सहायता अनुदान राशि की भी व्यवस्था की गयी।

(10) घोषणा–पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजों की नौकरी से जोड़ दिया, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्त्व तथा प्रतिस्पर्द्धी को बढ़ावा मिला।

जेम्स (James)) ने इसकी प्रशसा में लिखा है– ''सन् 1854 के घोषणा–पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोच्च स्थान है, जो कुछ इसके पूर्व हुआ, वह इसकी और संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ, वह इसके विकास एवं वृद्धि का परिणाम है।

लार्ड डलहौजी के अनुसार– ''घोषणा–पत्र में पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक योजना थी। इस प्रकार की व्यापक रूपरेखा प्रान्तीय अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कभी भी प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी।''

वुड घोषणा–पत्र के दोष

वुड के घोषणा–पत्र को विशेषताओं के कारण शिक्षा का महाधिकार–पत्र कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ दोष भी नहीं हैं, जो निम्नलिखित प्रकार हैं–

(1) घोषणा–पत्र का सर्वोच्च दोष यह था कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार एवं नोकरशाही के आधिपत्य में चला गया। अतः प्राचीन भारत की स्वतन्त्र शिक्षा पद्धति को अन्तिम एवं सबसे गम्भीर आघात पहुँँचा।

(2) घोषणा–पत्र ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी को माध्यम बनाकर उसे जन प्रचलित स्वरूप प्रदान करने से रोक दिया गया।

(3) घोषणा–पत्र ने यद्यपि प्राच्य साहित्य, संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने की संस्तुति की, परन्तु अंग्रेजी शिक्षा की व्यापक प्रगति के नीचे वह स्वयं ही दम तोड़ रही थी।

(4) घोषणा–पत्र ने निरपेक्ष संस्कृति की शुरूआत कर शिक्षा में भारतीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं को तीव्र आघात पहुँँचाया।

(5) घोषणा–पत्र ने शिक्षा के वृहद् स्वरूप को अंग्रेजी साम्राज्य में नौकरी प्राप्त करने की संकीर्ण मानसिकता से जोड़ कर रोजगार परक शिक्षा संस्कृति को जन्म दिया।

(6) घोषणा–पत्र की जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा की नीति ने प्राच्य विद्यालयों को स्वतः ही मृत प्रायः बना दिया।

(7) घोषणा–पत्र ने भारतीयता का विनाश करके पूर्ण विदेशीकरण का बिगुल बजाया।

(8) घोषणा–पत्रने शिक्षा के क्रियान्वियन हेतु प्रत्येक पद पद इंग्लैण्ड के स्कूलों, कॉलेजों को अपना आदर्श बना लिया।

(9) व्यावसायिक विद्यिालय केवल राजभक्त भारतीयों को ही सन्तुष्ट कर पाये थे।

(10) घोषणा–पत्र ने यद्यपि निष्पक्षता का भाव प्रकट किया है, किन्तु मिशनरी विद्यालयों के सन्दर्भ में उसका नियम शिथिल हो गया।

(11) सहायता अनुदान की शर्ते प्रायः अंग्रेजी विद्यालयों के ही अनुकूल बनायी गयी थीं तथा वे. ही इसकी अर्हताओं की पूर्ति कर पाने में सक्षम थे।

(12) शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम द्वारा छात्रों पर लादकर अनेक सरल एवं छोटे मार्ग अपनाये गये। इनके फलस्वरूप शिक्षा में सरल टीकाएँँ, कुंजियांँ आदि की बाढ़ सी आ गयी। इन्होंने शिक्षा को सफलता का साधन बना दिया। अब छात्र कम परिश्रमी हो चले थे।

(13) शिक्षा को लिखित परीक्षा से जोड़कर, उसमें अनेक प्रकार की बुराइयों का प्रवेश हो गया।

(14) उक्त समस्त परिस्थितियों ने अंग्रेजी शिक्षा की जड़ों को तीव्र गति से सींचा, अब शिक्षा परीक्षा उर्त्तीर्ण करने के लिए तथा नौकरी पाने के लालच से ली जाने लगी।

वुड का घोषणा–पत्र तथा आलोचकों के दृष्टिकोण

आलोचकों में दोनों प्रकार के व्यक्ति विद्यमान हैं– कुछ इसकी अतिरंजित प्रशंसा करते हैं, तो कुछ इसकी कठोर निन्दा। ऐसे ही चुने गये दृष्टिकोणों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. **परांजपे के अनुसार–** (1) ''यद्यपि घोषणा–पत्र में अनेक अच्छे गुण विद्यमान हैं, किन्तु फिर भी इस शैक्षिक घोषणा–पत्र को शिक्षा का आज्ञा–पत्र नहीं कहा जा सकता जो कि एक सरकारी–पत्र की तरह कुछ अधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान करता हो। घोषणा–पत्र कभी भी सार्वभौमिक शिक्षा की प्रत्याशा नहीं करता यद्यपि वह सहायता, अनुदान द्वारा उसके प्रसार की संस्तुति करता है।''

(2) ''शायद यह तथ्य तो क्षम्य है कि घोषणा–पत्र के प्रणेता को भारतीय महत्त्वाकांक्षाओं का एक शताब्दी बाद क्या स्वरूप बनेगा, इसका उचित ज्ञान नहीं था। किन्तु अपरोक्ष रूप से यह घोषणा–पत्र की अपूर्णता है। अन्त में 1854 के घोषणा–पत्र का चाहे जो कुछ महत्त्व हो पर इस समय उसको शिक्षा का अधिकार–पत्र (Educational Charter) कहना हास्यापद ही होगा।''

(3) ''उनका उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए लिए हो, शिक्षा भारत की औद्यौगिक उन्नति के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो। संक्षेप में, ऐसी शिक्षा हो, जिसकी आवश्यकता एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों को हा।''

2. **एस.एन.मुखर्जी के अनुसार** – ''घोषणा–पत्र ने देश की प्राचीन परम्पराओं का पता नहीं लगाया और इस बात पर भी बिल्कुल विचार नहीं किया कि भारत में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी।''
3. **भगवान दयाल के अनुसार–** ''वुड के घोषणा–पत्र का प्रमुख दोष–शिक्षा के उद्देश्य का गलत निर्धाण था। यह उद्देश्य पूर्व और पश्चिम की सर्वोत्तम बातों का समन्वय न होकर, केवल यूरोपीय ज्ञान की प्राप्ति का था।''
4. **ए.एन.बसु के अनुसार–** ''इस घोषणा–पत्र को भारतीय शिक्षा की आधारशिला कहा जाता है। यह माना जाता है। कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया।''
5. **नुरूल्लाह एवं नायक के अनुसार –** ''वुड के घोषणा–पत्र को 'भारतीय शिक्षा का महाधिकार–पत्र' (मैग्नाकार्टा) कहना तर्कसंगत नहीं है।''
6. **फिलिप हारटॉग के अनुसार** – ''वुड के घोषणा–पत्र द्वारा भारतीयों के कल्याण के लिए एक बुद्धिमता का विकास करने वाली नवीन नीति का निर्धारण सम्भव हो सका था।''

बोध प्रश्न

(1) मैंकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान किसने नियुक्त किया था?

---

(2) मैकाले ने अपना विस्तृत विवरण कब प्रस्तुत किया?

---

(3) मैकाले के पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में अंग्रेजी का क्या महत्त्व था?

1.6 भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन-1882)

लॉर्ड रिपन ने भारत के आगमन के पश्चात् 3 फरवरी सन् 1882 को अपनी कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य विलियम हण्टर को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया। इस आयोग को हण्टर कमीशन कहा जाता है। इस आयोग में कुल बीस सदस्य थे जिन्हें सम्पूर्ण शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव प्रस्तुत करने थे। इनमें सात भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था।

आयोग का कार्य-क्षेत्र एवं उद्देश्य

हण्टर कमीशन के उद्देश्यों को बिन्दुवार निम्नवत प्रस्तुत किया गया है-

1) उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रगति तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना।
2) प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना।
3) प्राथमिक शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना।
4) भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की भूमिका की जॉँच करना।
5) शिक्षा क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग ने रिन्तर दस माह तक अथक परिश्रम किया तथा मार्च, 1883 में छः सौ पृष्ठों का वृहद् प्रतिवेदन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

हण्टर आयोग की संस्तुतियॉँ एवं सुझाव

शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सन्दर्भ में इस आयोग की महत्वपूर्ण संस्तुतियॉँ एवं सुझाव निम्नलिखित हैं-

1. प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

हण्टर आयोग का प्राथमिक दायित्व प्राथमिक शिक्षा की विशद् समीक्षा करना था। अतः इस शिक्षा स्तर को आयोग ने सर्वोच्च प्रमुखता प्रदान की तथा सरकार को जन शिक्षा के प्रचार के लिए, इसकी प्रगति को तीव्र करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के सुझाव प्रस्तुत किये। इस सन्दर्भ में हण्टर आयोग के महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं-

- प्राथमिक शिक्षा की नीति (Policy of Primary Education) - प्राथमिक शिक्षा नीति के निर्देशित बिन्दु निम्नवत थे-
  - ➢ प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य- प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन शिक्षा का प्रचार करना होना चाहिए। इसे उच्च शिक्षा की सीढ़ी मात्र नहीं माना जाय।

- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम – यह शिक्षा देशी (Indian) एवं क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा के विषय – इस शिक्षा के प्रचार के लिए जन सामान्य से सम्बन्धित व्यावहारिक विषयों की शिक्षा देनी चाहिए।
- राजकीय दांयित्त्व – यह शिक्षा पूर्णरूपेण राजकीय दायित्व में प्रदान की जानी चाहिए।
- राजकीय सेवाओं से सम्बन्ध – निम्न स्तरीय राजकीय पदों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाय।
- निम्न वर्गो के लिए विशेष प्रयास – प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए पिछड़े वर्गो, आदिवासियों एवं जन–जातियों को आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अन्त में हण्टर आयोग ने अपनी टिप्पणी में कहा है–

''जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए, उसके प्रसार एवं सुधार के लिए राज्य द्वारा और अधिक सतत् प्रयास केन्द्रीकृत किये जायें।

- **प्राथमिक शिक्षा का संगठन (Organisation of Primary Education) –** इंग्लैण्ड में प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक प्रारूप का अनुकरण करते हुए लार्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण प्रबन्धन स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके फलस्वरूप अपरोक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को तिलांजली दे दी।
- **प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Primary Education) –** हण्टर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को क्षेत्रीय आधार पर विकसित एवं विकेन्द्रित करने के लिए प्रपत्रों को पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया। इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित विषयों की अनिवार्यता पर बल दिया–
  - (अ) भौतिक विज्ञान,
  - (ब) क्षेत्रमिति,
  - (स) चिकित्सा,
  - (द) बहीखाता,
  - (य) कृषि
- **आर्थिक व्यवस्था (Economic Provision) -** हण्टर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। उसने स्थानीय निकायों को 'प्राथमिक शिक्षा कोष' के निर्माण का विचार दिया। इस कोष की धनराशि को निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा के विकास में व्यय करना अनिवार्य कर दिया।

- **शिक्षक–प्रशिक्षण (Teacher's Training) -** हण्टर आयोग ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पृथक् नॉर्मल स्कूलों (Normal Schools) की स्थापना पर बल दिया। इसके विकास के लिए हण्टर आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ कीं–
  - प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया जाय, जहाँ से वे समस्त प्राथमिक पाठशालाओं की स्थानीय माँगों की पूर्ति कर सकें। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना की जाय।
  - प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्राथमिक शिक्षा कोष के लिए स्वीकृत धनराशि से प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण एवं नॉर्मल स्कूलों की उचित व्यवस्था की जाय।

2. देशी शिक्षा (Indigenous Education)

देशी शिक्षा पद्धति के उत्थान के सन्दर्भ में हण्टर शिक्षा आयोग की महत्त्वपूर्ण संस्तुतियाँ निम्नांकित हैं–

- देशी पाठशालाओं को पर्याप्त सरकारी सहायता प्रदान की जाय।
- इन पाठशालाओं में प्रवेश प्रतिबन्ध को हटाया जाय।
- इन पाठशालाओं में प्रवेश लेने वाले निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।
- देशी संस्थाओं को स्थानीय संस्थाओं के नियन्त्रण से मुक्त किया जाय।
- देशी संस्थाओं के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप न किया जाय, किन्तु शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाय।

3. माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)-

माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के सन्दर्भ में आयोग ने कहा था कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा सुयोग्य एवं बुद्धिमान भारतीयों के हाथों में सौंपकर स्व्यं को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार सहायता अनुदान प्रणाली का अनुसरण करे। यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी की शिक्षा के लिए माध्यमिक स्कूलों की स्थापना आवश्यक हो, तो उनकी सहायता–अनुदान प्रणाली द्वारा स्थापित की जाय।

माध्यमिक शिक्षा में उत्पन्न दोषों को दूर करने के उपायों के अन्तर्गत हण्टर आयोग ने हाईस्कूकल स्तर की शिक्षा को दो भागों में बाँटने पर जोर दिया। इनमें से **'ए' कोर्स (A-Course)** –उन छात्रों के लिए बनाया जाय जो उच्च शिक्षा में रूचि रखते हों, किन्तु ***'बी' कोर्स*** **(B-Course) –** ऐसे छात्रों के लिए हो जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रूचि रखते हों। इस प्रकार हण्टर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा को दो धाराओं में विभाजित करके उसके व्यावसायीकरण पर अतिरिक्त बल दिया था।

- **शिक्षक–प्रशिक्षण (Teacher's Training) –** इस आयोग की नियुक्ति के समय सम्पूर्ण भारत में मात्र दो शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे। इनमें से एक लाहौर में तथा दूसरा मद्रास में था। हण्टर कमीशन ने शिक्षक–प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व देते हुए और अधिक शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। हण्टर आयोग का सुझाव था कि स्नातकों का प्रशिक्षण काल कुछ कम कर दिया जाय तथा शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्यावहारिकता पर बल प्रदान किया जाय।
- **उच्च शिक्षा (Higher Education)-** उच्च शिक्षा की समीक्षा हण्टर कमीशन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी, किन्तु इस क्षेत्र में आयोग ने अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किये थे। इस क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित हैं–
  - ➢ कॉलेजों को दी जाने वाली सहायता–अनुदान प्रणाली का निर्णय शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों के व्यय, कार्य क्षमता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय।
  - ➢ कॉलेजों में छात्रों की रूचियों के अनुरूप विस्तृत पाठ्यक्रम लागू किया जाय।
  - ➢ कॉलेजों को विभिन्न भौतिक सुविधाओं तथा पुस्तकालय आदि के लिए उचित सहायता–अनुदान दिया जाय।
  - ➢ कॉलेज के छात्रों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था की जाय।
  - ➢ कॉलेज में छात्रों के वैयक्तिक विकास के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर विद्वानों की व्याख्यान मालाओं की व्यवस्था की जाय।
  - ➢ निजी कॉलेज, राजकीय कॉलेजों की तुलना में कम शुल्क लेकर प्रवेश दें, ताकि उनकी ओर अधिकाधिक छात्र आकृष्ट हों।
  - ➢ योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति देकर यूरोप भेजा जाय।
- **सहायता–अनुदान प्रणाली (Grant-in-Aid System) –** वुड द्वारा घोषित सहायता–अनुदान प्रणाली की विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने विभिन्न रूप में व्याख्या की तथा उसे लागू कर दिया। इससे इस प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे। इनके निवारण के लिए हण्टर आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नांकित थे–
  - ➢ प्रान्त के विद्यालयों की आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप सहायता–अनुदान प्रणाली को लागू किया जाय तथा नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये जाय।
  - ➢ सहायता–अनुदान प्रणाली को सर्वत्र प्रसारित करने दृष्टिकोण से इन्हें समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाय।
  - ➢ अराजकीय विद्यालयों के प्रबन्धनों को इन नियमों के निर्माण में सहभागी बनाया जाय।

- दुर्बल वित्तीय व्यवस्था वाले विद्यालयों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।
- सहायता–अनुदान प्रणाली को जहाँतक सम्भव हो सके अधिकाधिक निष्पक्ष बनाया जाय तथा सरकारी विद्यालयों के प्रति पक्षपात से स्वतन्त्र किया जाय।
- सहायता–अनुदान प्रणाली द्वारा उचित एवं निश्चित समय पर आर्थिक सहायता दी जाय तथा इसके नियमों को अपेक्षाकृत उदार बनाया जाय।

4. मिशनरी प्रयास (Missionary's Efforts)

इस संदर्भ में हण्टर कमीशन ने अपना मत निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया है–

''भारत जैसे विशाल देश की शिक्षा का भार केवल एक दल को सौंपने से इसकी कोई भलाई नहीं हो सकेगी और विशेषतः मिशनरियों को जो उदार एवं सच्चे होते हुए भी जनसाधारण की विभिन्न भावनाओं से सहानुभूति रखने में असमर्थ हैं।''

5. धार्मिक शिक्षा (Religious Education)

धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में घोर अनियमितताएँ विद्यामान थीं। हिन्दू, मुस्लिम एवं मिशनरी तीनों ही धार्मिक प्रतिद्वन्द्वताओं के शिकार थे तथा शिक्षा में अपने–अपने धर्म की प्रधानता पर बल दे रहे थे। इस अनियमितता का पटापेक्ष हण्टर कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करके किया–

- समस्त राजकीय विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाय।
- अन्य राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की न्यूनाधिक व्यवस्था की जा सकती है। इसे सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया जाय।
- इन धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली को लौकिक शिक्षा के आधार पर लागू किया जाय।

6. मुस्लिम शिक्षा (Muslim Education)

मुस्लिम शिक्षा के दोषों की समीक्षा करने के बाद हण्टर कमीशन ने उसके सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे–

- स्थानीय निकायों एवं प्रान्तों को मुस्लिम शिक्षा को दोषों की समीक्षा करने के हर सम्भव उपाय करने चाहिए।
- देशी मुस्लिम विद्यालयों में पूर्ण व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू किये जायें।
- प्राथमिक स्तर के मुस्लिम विद्यालयों में गुणात्मक सुधार करने चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया को बनाया जाना चाहिए।
- मुस्लिमों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

- मुस्लिमों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए छात्रवृत्तियाँ की व्यवस्था की जाय।
- राजकीय विद्यालयों में मुसलमान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निश्चित प्रवेश पंजीयन की व्यवस्था की जाय।
- जो मुस्लिम सम्पत्ति सरकार के पास सुरक्षित है, उसके आय स्रोतों को मुस्लिम शिक्षा के विकास पर व्यय किया जाय।
- मुस्लिम विद्यालयों के निरीक्षण कार्यों के लिए मुस्लिम निरीक्षकों की व्यवस्था की जाय।

7. स्त्री–शिक्षा (Women's Education)

स्त्री–शिक्षा के विकास के लिए हण्टर आयोग के महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित थे।

- स्थानीय स्तर पर शिक्षा के कोषों में से बालक एवं बालिकाओं के विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुपात में धन व्यय किया जाय।
- बालिका विद्यालयों के लिए अनुदान–सहायता प्रणाली को और अधिक उदार बनाया जाय तथा इसमें पर्याप्त वृद्धि की जाय।
- बालक–बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में पर्याप्त अन्तर किया जाय, क्योंकि एक समान पाठ्यक्रम लागू करना अव्यावहारिक है।
- बालिका विद्यालयों में शुल्क आधारीय अनुदान प्रणाली लागू की जाये तथा बालिकाओं को पर्याप्त छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें।
- माध्यमिक बालिका विद्यालयों की माँग के अनुसार अधिकाधिक क्षेत्रों में पृथक् व्यवस्था की जाय।
- निजी विद्यालय संस्थापकों द्वारा छात्राओं की शिक्षा सुविधा के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएँ खोली जायें।
- सरकार द्वारा बालिका विद्यालयों के निजीकरण पर पर्याप्त बल दिया जाय।
- बालिका विद्यालयों में अधिकाधिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाय तथा उन्हें इस व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जाय।
- बालिाक विद्यालयों के निरीक्षण कार्य के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाय।

8. हरिजनों एवं पिछड़े वर्गो की शिक्षा (Edcation of Harigain and Backward Classes)

इन वर्गो के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये है–

- हरिजन एवं एवं पिछड़े वर्गो के छात्रों को प्रान्तों के उन समस्त विद्यालयों में प्रवेश दिया जाय जो स्थानीय निकायों द्वारा संचालित किये जाते हैं।

- यदि कहीं इन बालाकों को विद्यालयों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो वहाँ पर इनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाय।
- शिक्षक एवं शिक्षा अधिकारी जनता में इन लोगों के प्रति व्याप्त भेद–भाव की भावना को धीरे–धीरे समाप्त करने का प्रयास करें।

  इन सुझावों के फलस्वरूप हरिजन एवं पिछड़े वर्गों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने लगी तथा वे विद्यालयों में छात्रों को भेजने लगे।

9. आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा (Edication of Tribses and Hill Tribes)

आयोग ने इन जातियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये–

- आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की उचित शिक्षा का प्रबन्ध करना सरकारी दायित्व है।
- सरकारी विद्यालयों एवं संस्थाओं को इस दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
- इन जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय तथा उनके लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाय।
- आदिवासी विद्यालयों में आदिवासी शिक्षकों को नियुक्त किया जाय तथा जिन आदिवासी जातियों का लिखने–पढ़ने में प्रयुक्त किया जा सकता है, उन्हें शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।
- आदिवासी जातियों की शिक्षा का स्वरूप सरल, व्यावहारिक, दैनिक प्रयोग से सम्बन्धित तथा शिक्षकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन

भारतीय शिक्षा आयोग ने वुड के घोषणा–पत्र का अनुसरण किया था। इसने तात्कालिक शिक्षा प्रयासों को एक सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान की। हावेल ने भारतीय शिक्षा आयोग की समीक्षा इस प्रकार की है–

''भारत में ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम शिक्षा की अवहेलना की गयी, फिर उग्रता एवं प्रबलता के साथ उसका विरोध किया गया, तत्पश्चात् ऐसी प्रणाली का सूत्रपात किया गया जो सर्वमान्य रूप से हानिकारक थी और अन्त में वर्तमान स्तर पर रख दी गयी।''

आयोग के सुझावों के फलस्वरूप तातकालिक शिक्षा में आशातीत वृद्धि हुई। प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण देश में सघन जाल फैल गया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार–प्रसार होने लगा, मिशनरियों के शैक्षिक दुष्प्रभावों का पटाक्षेप हो गया। विभिन्न पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश फैलने लगा।

इन गुणों के होते हुए भी आयोग में अनेक विकृतियाँ थी। ये दोष निम्नलिखित हैं–

- भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति की घोर उपेक्षा की थी।
- शिक्षा के लिए तात्कालिक जनसंख्या के अनुरूप अपर्याप्त धन की व्यवस्था की गयी।
- शिक्षा को नौकरी से इस प्रकार सम्बद्ध कर दिया गया कि ग्रामीण शिक्षितों का नगरों की और पलायन बढ़ गया तथा एक शिक्षित नौकरी पेशा मध्यम वर्ग का नगरों में जन्म हो गया।
- शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से सम्बद्ध करके उसकी व्यावहारिक उपयोगिता समाप्त कर दी गी।

इन दोषों के बावजूद इस आयोग की प्रशंसा में प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद् टी.एन सिवचेरा ने लिखा है–

''अपने समस्त सुझावों के लिए 'आयोग' हार्दिक प्रशंसा का पात्र है। यदि आज भारतीय शिक्षा–प्रणाली के सन्दर्भ में इतने अधिक असन्तोष का अनुभव किया जा रहा है, तो इसका कारण यह यह है कि सन् 1882 में निर्धारित की जाने वाली शिक्षाा नीति के मुख्य अभिप्राय का अनुसरण नहीं किया गया है।''

विधेयक के प्रति सरकारी उपेक्षाओं की कटु आलोचना एवं तर्कयुक्त उत्तर देते हुए अपनी हार की स्वीकारोक्ति उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में की थी–

''मैं जानता था कि संध्या तक मेरा विधेयक उखाड़ कर फेक दिया जायेगा। इससे न मुझे कोई निराशा है और न ही कोई शिकायत। मैं सदैव सोचता हूँ कि इस पीढ़ी के भारतवासी अपनी मातृभूमि की सेवा अपनी असफलता के द्वारा ही कर सकते हैं।''

बोध प्रश्न

(1) **भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया?**

____

(2) **हण्टर आयोग ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कौन–कौन सी संस्तुतियाँ दी?**

____

____

(3) **हावेल ने भारतीय शिक्षा आयोग की समीक्षा किस प्रकार की हैं?**

____

1.7 शिक्षा में निस्यन्दन सिद्धान्त

'निस्यन्दन' (Filtration) से अभिप्राय है – 'छानना या निथारना'। अंग्रेजों ने शिक्षा के प्रसार को सरल एवं सुविधायुक्त बनाने की दृष्टि से इसे तात्कालिक शिक्षा नीति में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया। इस सिद्धान्त से उनका तात्पर्य था–

''जन समूह में शिक्षा ऊपर के प्रभावी वर्ग के शिक्षित लोगों से छन–छन कर नीचे पहुँचनी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा का प्रवाह बूँद–बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से प्रारम्भ हो, ताकि वह कुछ काल के उपरान्त एक अजस्त्र चौड़ी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क रेगिस्तान की सिंचाई कर सके।''

तत्कालीन बम्बई के गवर्नर जनरल वार्डन को काउन्सिल के सदस्य ने इस सिद्धान्त की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था–

''जन सामान्य को अल्प शिक्षा देने से तो उत्तम है, उच्च वर्ग के प्रभावी व्यक्तियों के छोटे समूह को अधिक उच्च शिक्षा प्रदान करना।''

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मालिकों ने भी 1830 के आदेश–पत्र में अपनी इस भावना को प्रकट करते हुए लिखा था–

''शिक्षा की प्रगति की सम्भावना तभी व्यक्त की जा सकती है, जबकि उच्च वर्गों के उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाय, जो पर्याप्त समय निकाल सकते हैं तथा वे अपने ही जनसमुदाय में प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं।''

मैकॉले द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति की प्रारम्भिक रूपरेखा में भी यही बुनियादी पत्थर लगाया गया है–

''हमारी शिक्षा पद्धति द्वारा एक ऐसे भारतीय लोगों के वर्ग का विकास होगा जो रक्त एवं रंग में तो भारतीय ही होगा, किन्तु रूचि, व्यवहार एवं विद्वता में अंग्रेज होगा।''

अन्त में लॉर्ड ऑकलैण्ड ने इस सिद्धान्त की महत्ता को स्वीकारते हुए इसे तात्कालिक शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बना दिया। ऑकलैण्ड ने लिखा था–

''सरकार को समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे सभ्यता छन–छन कर जनता तक पहुँचे।''

इस सिद्धान्त को सरकारी नीति के रूप में सबसे अधिक सरकारी अधिकारियों द्वारा सराहा गया। सन् 1844 में लार्ड हार्डिग (Lord Hardinge) ने ऐसे सभी अंग्रेजी पढ़े–लिखे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार भारतीयों के लिए शिक्षा सरकारी

नौकरी प्राप्त करने का साधन तथा अंग्रेजों के साथ काम करने के रूप में गर्व का विषय बन गयी।

बोध प्रश्न

(1) शिक्षा में निस्यन्दन सिद्धान्त का तात्पर्या क्या था?

----

(2) मैकॉले द्वारा प्रस्तावित शिक्षा नीति की प्रारम्भिक रूपरेखा में भारतीयों के लिए क्या उल्लेख किया गया था?

----

(3) लार्ड ऑकलैण्ड ने निस्यन्दन सिद्धान्त महत्ता किस प्रकार प्रतिपादित की थी ?

1.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई में भारत में शैक्षिक नीतियों का ऐतिहासिक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। भारत में विदोरहीयों का प्रथम पर्दापण धर्म परिवर्तन के साथ प्रारंभ होकर व्यापर के रूप में परिवर्तित हो गया। व्यापार के प्रचार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके द्वारा कार्य किया गया जिनका उल्लेख इकाई के अन्तर्गत सम्मिलित। किया गया है। सन् 1813 का आज्ञापत्र, लार्ड मैकाले का विवरण पत्र (1835) विलियम ऐडस की शिक्षा योजना, वुड का घोषणा पत्र (1854) का शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में विशेष योगदान रहा है। अन्त में शिक्षा में सिद्धान्त का विवरण इसी इकाई में उल्लेखित है।

1.9 अभ्यासकार्य

(1) भारतीय शिक्षा के इतिहास कितने कालखण्डों में विभाजित किया गया है?

(2) ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था?

(3) मैंकाले ने अपना विस्तृत विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया?

(4) भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया हैं और क्यों? व्याख्या कीजिए?

(5) आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में वुड के घोषणा–पत्र का मूल्यांकन कीजिए।

(6) वुड घोषणा पत्र के गुण व दोष का वर्णन कीजिए?

(7) वुड के घोषणा–पत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

(8) हण्टर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कौन–कौन सी सिफारिशें की हैं? समझाइये।

(9) माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में हण्टर कमीशन की मुख्य संस्तुतियाँ क्या हैं? भारत में माध्यमिक शिक्षा के भावी विकास पर उसके प्रभाव को बताइये।

(10) भारतीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में कौन–कौन से विचार प्रस्तुत किये हैं? व्याख्या कीजिए।

1.10 चर्चा के बिन्दु

(1) मैंकाले का विवरण पत्र 1813 के आज्ञापत्र के संदर्भ में 43 वीं धारा की व्यख्या किस रूप में प्रस्तुत की?

(2) मैंकाले के पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में अंग्रेजी के महत्त्वपूर्ण किस प्रकार समझाया गया?

(3) ब्रिटिश सरकार की प्रथम शिक्षा नीति के रूप में किसे माना गया है और क्यों?

(4) अधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा किसे प्रदान की गई है?

(5) ''भारतीय शिक्षा आयोग भारत के शिक्षा के विकास में एक मिल का पत्थर है।'' इस कथन की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

1.11 बोध प्रश्नो के उत्तर

1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें (सन्दर्भ)

(1) गुप्ता, एस.पी.एवं गुप्ता, अलका (2005): भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, इलाका बादः11- युनिवर्सिटीरोड, शारदा पुस्तकभवन।

(2) त्यागी, जी.एस.डी. एवं पाठ्क, पी.डी.(1985): भारतीय शिक्षा की सम-सामायिक समस्याएँ, आगराःश्री विनोद पुस्तक मन्दिर।

(3) त्यागी, जी.एस.डी. एवं पाठ्क, पी.डी.(2013): भारतीय शिक्षा की सम-सामायिक समस्याएँ, आगराःश्री विनोद पुस्तक मन्दिर।

(4) शर्मा, आर.के. एवं अन्य (2005): भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, आगराः राधा प्रकाशन मन्दिर।

(5) शर्मा, आर.के.पुरोहित, जेड.एन. एवं सिंह एच.पी. (2006): उदीयमान भारतीय समाज में अध्यापक, आगरा-2: राधा प्रकाशन मन्दिर।

(6) सक्सेना, एन.आर.स्वरूप एवं चतुर्वेदी, शिखा (2010): उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, मेरठः आर.लाल.वुक डियो।

KEXAMS